विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–296/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–15.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.06.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

श्री प्रदीप बहुगुणा
ब्रहामण मोहल्ला
श्रीनगर गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री प्रदीप बहुगुणा, ब्रहामण मोहल्ला, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 15.06.2026 को इस कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायत की गई थी कि वादी का संयोजन सं0–SN21106170945 है। विभाग द्वारा वादी के वर्तमान बिल में ACD के नाम से रू0 3090.00 का अतिरिक्त बिल दिया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है। वादी द्वारा विभागीय कर्मचारियों को विद्युत बिल दिखाकर मौखिक रूप से वार्ता की गई जिसमें विभाग द्वारा बिल जमा करना अनिवार्य बताया गया। वादी द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि ACD के नाम से जो रू0 3090.00 का अतिरिक्त बिल लिया जा रहा है वह अनुचित है उस पर रोक लगा दी जाये। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1002, दिनांक 16.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 02 सप्ताह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 1024, दिनांक 09.07.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2131 विविखश्री / दिनांक 24.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता के पिछले वित्तीय वर्ष की खपत के आधार पर माननीय विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के निर्देशानुसार ASD बिल में जोडी जा रही है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि बिल में Additional Security Deposit माननीय विद्युत नियामक आयोग / LT Regulation के आधार पर नियमानुसार जोडी जा रही है।

आदेश

वादी को नियमानुसार बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–298/2026

श्री अनिल दत्त तिवारी
ग्राम–स्वींत
श्रीकोट गंगानाली। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री अनिल दत्त तिवारी, ग्राम–स्वींत, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.06.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके भवन के छत में UPCL की नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित है। विभाग द्वारा अगस्त 2 024 से वादी द्वारा जनरेट की गई अधिशेष सौर ऊर्जा का भुगतान लम्बित रखा गया है। नवीनतम बिल के अनुसार वर्तमान में विभाग पर वादी की कुल रू0 10620.00 (दस हजार छः सौ बीस रूपये) की राशि देय प्रदर्शित है, जिसका माह 08/2024 से भुगतान नहीं किया गया है। वादी द्वारा माह 08/2024 से नियमानुसार कुल धनराशि उचित ब्याज सहित शीघ्र ही उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक

19/8/26

19/08/26

सं0–1006, दिनांक 19.06.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष / स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बावजूद विपक्षी द्वारा जवाबदाव प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप मंच द्वारा अपने पत्रांक सं0 1025, दिनांक 09.07.2026 के माध्मय से विपक्षी को अनुस्मारक पत्र प्रेषित करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध मे अपना पक्ष निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु पुनः निर्देशित किया गया। उक्त अनुस्मारक के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत मंच द्वारा पुनः अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1032, दिनांक 03.08.2026 के माध्यम से अनुस्मारक पत्र प्रेषित कर प्रकरण के सम्बन्ध मे आवश्यक उत्तर / अभिलेख मंच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अवगत कराया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2441 वि0वि0ख0(श्री0), दिनांक 12.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उक्त उत्पादक के विद्युत खरीद की धनराशि कार्यालय के चैक संख्या 701135 दिनांक 21.07.2026 के माध्यम से उनके बैंक विवरण के अनुसार उनके खाते मे जमा करा दी गई है।

आज दिनांक 19.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

19/8/26

19/08/26

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–300/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.06.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

श्री सतीश चन्द्र पंत
ग्राम–हलाई, पो0–सिमार
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री सतीश चन्द्र पंत, ग्राम–हलाई, पो0–सिमार, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा अत्यधिक विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1007(B), दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1105 वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/ दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री सतीश चन्द्र पन्त के विद्युत संयोजन सं0–PG15609338792 का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के कुल बकाया धनराशि रू0 51638.00 में से 34719.00 रू0 का समायोजन कर बिल संशोधित कर दिया गया है। अब वादी पर कुल बकाया धनराशि रू0 16919.00 देय है।

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर विपक्षी द्वारा बिल संशोधित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad 06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad 06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–301/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.08.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

सुश्री सोनम देवी
ग्राम–डनक, पो0–जयहरीखाल
पौडी गढवाल।

वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादिनी सुश्री सोनम देवी, ग्राम–डनक, पो0–जयहरीखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि अपने परिसर पर 03 किलोवाट का सोलर प्लाण्ट लगाया गया है परन्तु प्लाण्ट लगाने के उपरान्त भी वादी को अत्यधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनको काफी परशानियो का सामना करना पड रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1008, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1106 वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्रीमती सोनम देवी के विद्युत संयोजन सं0–PG15009333776 का विद्युत बिल संशोधिक कर दिया गया है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादिनी के कुल बकाया धनराशि में से 35200.00 रू0 का समायोजन कर बिल संशोधित कर दिया गया है। अब वादिनी पर कुल बकाया धनराशि रू0 –13395.59 है।

आदेश

वादिनी का बिल नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–302/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.08..2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

अधिशासी अभियन्ता, PWD
पोखरा
पौडी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी अधिशासी अभियन्ता, PWD पोखरा पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत संयोजन सं0–PG66001332998 पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो चुका है जिस कारण त्रुटिपूर्ण बिल प्राप्त हो रहे हैं। अतः वादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1009, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1102 वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0–PG66001332998 का खराब मीटर बदल दिया गया है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को दिनांक 15.07.2026 को बदल दिया गया है।

आदेश

वादी का खराब विद्युत मापक बदलकर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–303/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.08.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

उप शिक्षा अधिकारी
ग्राम–पोखरा,
पौडी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी उप शिक्षा अधिकारी, ग्राम–पोखरा पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत संयोजन सं0–PG66010344591 पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो चुका है जिसको बदलना अति आवश्यक है। अतः वादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1010, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1107 वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता उप शिक्षा अधिकारी के विद्युत संयोजन सं0–PG66010344591 का खराब मीटर बदल दिया गया है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को दिनांक 15.07.2026 को बदल दिया गया है।

आदेश

वादी का खराब विद्युत मापक बदल दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–304/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.08.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

श्री गंगा सिंह
ग्राम–कठूर, पो0–नैणी
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री गंगा सिंह, ग्राम–कठूर, पो0–नैणी, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्युत संयोजन सं0–PG15503340305 पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो चुका है जिस कारण वादी को IDF के बिल प्रेषित हो रहे थे। अतः वादी द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने हेतु अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1011, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1104 वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/ दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री गंगा सिंह

के विद्युत संयोजन सं0– PG25102340305 की बुक चेंज कर दी गयी व खराब मीटर बदल दिया गया है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.07.2026 को वादी श्री गंगा सिंह की पुरानी बुक (5102) को नई बुक (5503) से परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही वादी के परिसर पर स्थित खराब विद्युत मापक को भी दिनांक 15.07.2026 को परिवर्तित कर दिया गया है।

आदेश

वादी की बुक परिवर्तित कर दी गई है एवं उनके खराब विद्युत मापक को भी बदल दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–305/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.08.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

सुश्री भागेश्वरी देवी
पडियार गांव, पो0–सेडियाखाल
पौडी गढवाल। — वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादिनी सुश्री भागेश्वरी देवी, पडियार गांव, पो0–सेडियाखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत संयोजन सं0–PG26206290623 है एवं संयोजन सं0 में ग्रुप पी0जी0–02 की जगह पी0जी0–01 हो गया है, जिस कारण वादिनी को विद्युत बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वादिनी द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि उनके बुक सं एवं ग्रुप को सही करने की कृपा करें, जिससे समस्त बिल उनको प्राप्त हो सके। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1011, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1104 वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्रीमती भागेश्वरी देवी के विद्युत संयोजन सं0– PG15409290623 की बुक चेंज कर दी गयी है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.07.2026 को वादिनी सुश्री भागेश्वरी देवी की पुरानी बुक (5409) को नई बुक (6206) से परिवर्तित कर दिया गया है।

आदेश

वादिनी की बुक परिवर्तित कर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–306/2026

परिवाद प्रस्तुतीकरण दिनांक–23.06.2026
अंतिम सुनवाई/बहस का दिनांक–06.06.2026
निर्णय की दिनांक–06.08.2026

श्री किशन कुमार
ग्राम–दुधारखाल
पौडी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री किशन कुमार, ग्राम–दुधारखाल, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2026 को सतपुली शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल रू0 5604.00 होना चाहिए था परन्तु विभाग द्वारा वादी को रू0 5805.00 का बिल प्रेषित किया गया है। वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनको विद्युत बिल रू0 5805.00 से घटाकर रू0 5604.00 कर दिया जाए। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने पत्रांक सं0 1013, दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1103 वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 28.07.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री किशन कुमार के विद्युत संयोजन सं0– PG25605345037 की बुक चेंज कर दी गयी है।

आज दिनांक 06.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 24.06.2026 को वादी श्री किशन कुमार की पुरानी बुक (5805) को नई बुक (5604) से परिवर्तित कर दिया गया है।

आदेश

वादिनी की बुक परिवर्तित कर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 06.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

6/8/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

6/8/2026
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

Kirti Prasad
06/08/26
कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–312/2026

श्री दिनेश सिंह नेगी
ग्राम–स्वींत
श्रीकोट गंगानाली। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री दिनेश सिंह नेगी, ग्राम–स्वींत, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 19.06.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके भवन के मुख्य द्वार के समीप विद्युत एल0टी0/एच0टी0 लाईन के 02 खम्भे लगे हुए हैं, जिसमें एल0टी0 लाईन का खम्भा नीचे से गलने के कारण अधिक झुक गया है चूंकि खम्भे के चारों तरफ सीमेण्ट व कंकरीट का ब्लॉक नहीं बनाया गया था। इन दोनों खम्भों की स्थिति के कारण परिवारजन में भय का माहौन बना हुआ है और यह खम्भे कभी भी गिर सकते हैं जिससे जान–माल की हानि हो सकती है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1020, दिनांक 01.07.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा

19/8/2026

19/08/26

प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बावजूद विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल द्वारा जवाबदाव प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप मंच द्वारा अपने पत्रांक सं0 1033, दिनांक 03.08.2026 के माध्यम से विपक्षी को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2433/वि0वि0ख0(श्री0), दिनांक 12.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता की सहमति से ही उनके परिसर में कार्यदायी संस्था मै0 सनसिटी द्वारा नया विद्युत पोल स्थापित किया गया था। लेकिन पोल के साथ स्टे वायर लगाने की सहमति शिकायतकर्ता द्वारा नहीं देने के कारण पोल हल्का सा झुक रहा है। साथ ही नये पोल की ग्राउटिंग का कार्य भी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कराया गया है। अगर शिकायकर्ता स्टे लगाने की सहमति देते हैं तो पोल को सीधा करने के साथ ही परिसर में लगे दूसरे एल0टी0 पोल में लगी ए0बी0 केबिल को भी नये पोल में स्थानान्तरित कर पुराना पोल हटा दिया जायेगा।

आज दिनांक 19.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी की शिकायत पोल हटाने से सम्बन्धित है, जिस पर निर्णय पारित करने हेतु मंच को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जिस कारण शिकायती पत्र अस्वीकार किया जाता है। उक्त मामले में पोल स्थानान्तरित करने हेतु वादी विभागीय कार्यवाही अमल में ला सकता है।

Arthakar
19/8/2026

Kirti Prasad
19/08/26

आदेश

वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है, चूंकि मंच को उक्त मामले पर सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/2026

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

/

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/2026

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

/

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–313/2026

श्री सुनील कुमार
पाबौं, बाजार
पौडी गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादी श्री सुनील कुमार, पाबौं बाजार, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2026 को CGRF PORTAL से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि–

According to the UPCL portal, the status of my application is "SERVISH RELEASED." However, no electricity meter has been installed at my permises, and the electricity connection has not yet been provided.

This connection delay is cuasing significant inconvenience and affecting my business operations.

I kindly request you to:

01. Verify the current status of my application.
02. Arrange for immediats installation of the electricity meter.
03. Inform me to the expected date of installation and service activation.
04. Explain why the application status has been updated to "Service Released" despite the meter not being installed.

19/08/26

I would appreciate your prompt attention to this matter and request that the issue be resolved at the earliest.

Connection Details:

- Reference Number: 210805260739
- Appliacant Name: Mr. Sunil Kumar
- Connectin Type: RTS-2 Non-Domestic (Small Non-Domestic Up to 4 KW)
- Load: 01 KW
- Division/Sub-Division: Pauri
- Registered On: 08 May 2026

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1022, दिनांक 06.07.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष / स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बावजूद विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल द्वारा जवाबदाव प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप मंच द्वारा अपने पत्रांक सं0 1031, दिनांक 01.08.2026 के माध्यम से विपक्षी को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1178 / वि0वि0ख0(पौ0) / उपाकालि / दिनांक 04.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता श्री सुनील कुमार के परिसर पर मीटर संख्या 70850344 स्थापित है।

आज दिनांक 19.09.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के परिसर पर विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है।

19/8/26

Kuldeep 19/08/26

आदेश

वादी की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/26	/	19/08/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26	/	19/08/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–314/2026

सुश्री सुनीता शर्मा
ग्राम–सुपार, बडियारगढ
टिहरी गढवाल।

वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

वादिनी सुश्री सुनीता शर्मा, ग्राम–सुपार, बडियारगढ, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 17.07.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि–

Respected sir/Madam,

I, Sunita Sharma, D/o Asha Ram Bhatt am writing this latter to bring to your kind notice the unnecessary delay in the installation of my new electricity meter.

I am a resident of village supar, Badiyargarh, Kirtinagar, District Tehri Garhwal, Uttrakhand. I applied online for a new electricity connection through the UPCL Portal. My application/Registration Number is 499040626002, and I submitted my application on 04 Jun 2026. I completed all the required formalities and submitted all the necessary documents.

Despite the completion of all formalities, my electricity meter has still not been installed. Your department's Lineman visited my premises for inspection on 20 Jun

19/8/26

19/08/26

2026 and the inspection was completed. The online application status still also shows "Inspection Pending".

Howver, even after making several omline complaints, no action has been taken by the concerned officials. The delay is causing great inconvenience to my Family.

Therefor, I kindly request you to look into this matter personally and take the necessary action to ensure that my new electricity meter is installed at the earliest.

I shall be grateful for your Prompt action

इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष समस्या का समाधान करने के लिए शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1026, दिनांक 17.07.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादिनी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष / स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बावजूद विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल द्वारा जवाबदाव प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप मंच द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0 1034, दिनांक 03.08.2026 के माध्यम से विपक्षी को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2369 / वि0वि0ख0(श्री0), दिनांक 03.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता का Load Approve (Reg. No. 499040626002) कर दिया गया है। उक्त संयोजन Consumer Payment में लम्बित है जिसकी सूचना उपभोक्ता को दे दी गई है। उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करते ही मीटर लगवा दिया जायेगा।

आज दिनांक 19.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वादिनी से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क कर यह अवगत में आया कि उनके द्वारा दिनांक 28.07.2026 को विद्युत मापक सम्बन्धी वांछित धनराशि जमा करा दी गई थी, जिसके

19/8/26

19/08/26

उपरान्त विपक्षी द्वारा दिनांक 11.08.2026 को वादिनी के परिसर पर विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है।

आदेश

वादिनी के परिसर पर विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादिनी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/26	/	19/08/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26	/	19/08/26
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–316/2026

श्री भरत सिंह
ग्राम–चोपडा, पाबौं
पौडी गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
पौडी गढवाल — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री भरत सिंह, ग्राम–चोपडा, पाबौं, पौडी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 22.07.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि वह लगभग सभी बिलों का भुगतान करते आयें हैं और ऐंसी भी उपकरण का उपयोग नही करते है जिससे विद्युत खपत अधिक हो। वादी द्वारा माह 03/2026 को रू0 1515.00 (एक हजार पांच सौ पंद्रह रूपये) का भुगतान किया गया परन्तु माह 05/2026 को विभाग द्वारा वादी को रू0 11010 (ग्यारह हजार दस रूपये) का बिल प्रेषित किया गया जो जुलाई 2026 तक बढकर 11101.00 रू0 हो गया। वादी द्वारा अपने बढे हुए बिल को कम करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पौडी गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1028, दिनांक 22.07.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष/स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

19/08/26

19/8/26

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1233/वि0वि0ख0(पौ0)/उपाकालि/ दिनांक 07.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल माह 03/2025 में गलत रीडिंग की प्रविष्टि के कारण RDF में बन रहा था, जिसको माह 05/2026 में सही रीडिंग के अनुसार संशोधित किया गया था।

आज दिनांक 19.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को माह 03/2025 से 03/2026 तक RDF के बिल प्राप्त हुये एवं माह 05/2026 में वादी को रीडिंग का बिल प्राप्त हुआ।

आदेश

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि माह 03/2025 से 05/2026 के समस्त बिल औसत उपभोग के आधार पर संशोधित करें एवं अनुपालन आख्या अधिकतम 30 दिवस के भीतर मंच के समक्ष पेश करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–317/2026

श्री धनन्जय प्रसाद
ग्राम–धनचडा, नकोट, बिल्केदार — वादी
श्रीनगर गढवाल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री धनन्जय प्रसाद, ग्राम–धनचडा, नकोट, बिल्केदार, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 28.07.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि माह 02/2025 को नवीन विद्युत संयोजन हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 29.03.2025 को संयोजन हेतु निर्धारित धनराशि रू0 2200.00 भी विभाग में जमा करा दी गई थी, परन्तु आज तक वादी के परिसर पर विद्युत मापक स्थापित नही किया गया है, तथापि इसके विपरीत विभाग द्वारा बिना संयोजन प्रदान किए ही वादी के नाम से विद्युत देयक (SN21204856331) निर्गत किये जा रहे हैं। जो कि विभागीय सेवा में कमी एवं घोर लापरवाही का गम्भीर विषय प्रतीत होता है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुए विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने कार्यालय पत्रांक सं0–1029, दिनांक 28.07.2026 के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत

19/8/26

Kirti Prasad 19/08/26

शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष / स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–2366 / वि0वि0ख0(श्री0), दिनांक 03.08.2026 को लिखित अभिकथन द्वारा अवगत कराया है कि भण्डार उपकेन्द्र, श्रीनगर में सर्विस केबिल उपलब्ध न होने के कारण उक्त उपभोक्ता के आवास पर विद्युत संयोजन स्थापित नहीं किया जा सका। आज दिनांक 01.08.2026 को श्री धनन्जय प्रसाद, ग्राम–धनचडा नकोट के आवास पर मापक स्थापित कर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आज दिनांक 19.08.2026 को मंच की बैठक हुई, संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 01.08.2026 को वादी श्री धनन्जय प्रसाद, ग्राम–धनचडा, नकोट के आवास पर विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा यह अवगत नहीं कराया गया है कि वादी को बिना संयोजन प्रदान किए ही किस आधार पर विद्युत देयक निर्गत किये जा रहे थे, जिसका कि वादी द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में भी उल्लेख किया गया है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है उपरोक्त सम्बन्ध में विपक्षी विभाग सुस्पष्ट अनुपालन आख्या 30 कार्यदिवस के भीतर मंच के समक्ष कारण सहित प्रस्तुत करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147879, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–335/2026

श्री राजेन्द्र सिंह रावत
न्यू डांग, वार्ड सं0–28
श्रीनगर गढवाल।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

कोरम

उपरोक्त वाद श्री राजेन्द्र सिंह रावत द्वारा दिनांक 19.08.2026 को मंच द्वारा आयोजित, नगर निगम, श्रीनगर के शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जिसमें वादी द्वारा यह अभिकथन किया गया कि न्यू डांग मे एक पुराना विद्युत पोल बीच रास्ते मे स्थित है। जिससे वाहन चालकों को दुर्घटना की दृष्टि से काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। साथ ही वादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत पोल नीचे से जंग लगने के कारण खराब हो गया है। जिससे जान–माल की हानि हो सकती है।

उपरोक्त परिवाद का शिविर के दौरान सुनवाई की गई। वर्तमान में पोल को हटाया जाना सम्भव नहीं है चूंकि ऐसा करने से अन्य वादियों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित होगी। पोल को स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, इस कार्य हेतु आवश्यक प्राक्कलन

Kuti prmd
19108126

19/8/26

तैयार कर नियमानुसार धनराशि जमा किए जाने के उपरान्त ही विद्युत पोल को हटाये जाने की कार्यवाही सम्भव होगी।

मंच द्वारा यह अवलोकित किया गया कि परिवादी की समस्या विद्युत पोल स्थानान्तरित है। माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों, उत्तराखण्ड विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, 2019 की कार्यप्रणाली विनियमावली के खण्ड 3.1(5) के अनुसार विद्युत लाईन/विद्युत पोल अथवा अन्य विद्युत परिसम्पत्तियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित विवाद एवं प्रकरण मंच के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते है। अतः विनिमय के आलोक में मंच इस विषय पर कोई आदेश/निर्णय अथवा निर्देश पारित नही प्रदान करता है। परिवादी विभाग के समक्ष प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकतें है।

मंच का मत है कि विद्युत वितरण तंत्र में परिवर्तन अथवा विद्युत पोल का स्थानान्तरण एक तकनीकी विषय है, जिसका निर्णय सुरक्षा मानकों, विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता तथा विभागीय नियमों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है। अतः मंच विभाग को किसी विशिष्ट तकनीकी समाधान अपनाने हेतु निर्देशित नहीं कर सकता। तथापि, यह अपेक्षा की जाती है कि विभाग परिवादी की समस्या का माननीय आयोग के विनियमों में दिए गए प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें।

परिवाद अस्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्ण कर नियमानुसार कार्यवाही करने को स्वंत्रत है। यदि विद्युत पोल का स्थानान्तरण तकनीकी रूप से सम्भव पाया जाता है, तो विभाग नियमानुसार प्राक्कलन तैयार कर सम्बन्धित पक्षों को सूचित करें तथा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कार्यवाही सम्पन्न करें। विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि परिवादी के आवास पर विद्युत लाईन से सम्बन्धित सुरक्षा मानको का पूर्णतः पालन करें।

Kutb Ahmad
19/08/26

19/8/26

यदि वादी इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 19.08.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

19/8/26

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

19/08/26

कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य न्यायिक)